न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 117/2021

1. सुलतान पुत्र महालाराम उम्र 72 वर्ष, जाति जाट निवासी दूड़िया, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
2. औंकार पुत्र महालाराम उम्र 70 वर्ष, जाति जाट निवासी दूड़िया, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
3. रामेश्वर पुत्र महालाराम उम्र 67 वर्ष, जाति जाट निवासी दूड़िया, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. रामधन पुत्र महालाराम जाति जाट निवासी दूड़िया,तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
2. तत्कालिक हल्का पटवारी दूड़िया,तहसील गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू।
3. भूमिधारक तहसीलदार तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण आदेश संख्या 2207 दिनांक 26.10.2021
ग्राम दूड़िया तहसील गुढा गौड़जी।

उपस्थितिः–

1. श्री जुगुल किशोर सैनी, एडवोकेट – ––––––अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजेश पूनियां,एडवोकेट –––––––––––––रेस्पोंडेंट नंबर–1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––रेस्पोडेन्ट नंबर 2 व 3 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.10.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2207 आदेश दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– ग्राम दूड़िया के हाल भूमि खसरा नंबर 894, 895, 896, 897, 898, 911, 975 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.020, 0.050, 2.29, 0.040, 1.13, 2.66,हैक्टर कुल रकबा 6.26 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पैत्रिक है जो पहले महालाराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी, परन्तु अपीलान्ट के पिता महालाराम की मृत्यु होजाने के बाद उक्त भूमि उसके चार पुत्र सुलतान, औंकार, रामेश्वर, रामधन एवं पत्नी सिणगारी के नाम से विरासत नामान्तरकरण दर्ज हुआ कि उक्त भूमि को चारों भाइयों ने बराबर–बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलांट की माता सिणगारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

देवी पत्नी महालाराम काफी वृद्ध थी एवं मानसिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी थी जिसकी देखभाल चारों भाई ही करते थे तथा चारों भाई ही उसको खाना देते थे, परन्तु कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर छोटे भाई रामधन ने दिनांक 17.11.2021 को तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी में लाकर बाला बाला अपनी माता सिणगारी देवी को बिना बताये ही अपनी माताजी का 1/5 हिस्सा का हक त्याग अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया। उक्त हक त्याग का अपीलांट को पता चलने पर अपीलांट ने अपनी माताजी से पूछताछ करने पर उसने कहा कि रामधन उसे तहसील कार्यालय में लेकर गया था तथा उसे पता नहीं उसने किन कागजातों पर हस्ताक्षर करवाये हैं। तब भाई रामधन से पूछताछ करने पर बताया कि उसने अपने हक में हक त्याग करवाया है, परन्तु मैं वापस चलकर दिनांक 17.11.2021 को मेरे पक्ष में हुये हक त्याग को वापस निरस्त करवा देता हूँ। तब रेस्पोडेंट नंबर1 ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 30.12.2021 को अपनी माता सिणगारी देवीके पक्ष में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हक त्याग वापस अपनी माता के पक्ष में नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया, क्योंकि उस समय तक दिनांक 17.11.2011 का नामांतरकरण नहीं हुआ था, इस कारण पंजीयन नहीं हो सका था तथा उसी दिन रेस्पोडेंट नंबर1 ने अपने भाईयों के साथ एक अनुबन्ध पत्र 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र लिखवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया था जिसमें रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने लिखा था कि दिनांक 17.11.2021 के हक त्याग को निरस्त समझा जावे तथा उसके माताजी के हिस्से की भूमि पर चारों भाइयों का बराबर–बराबर हिस्सा रहेगा तथा हक त्याग दिनांक 17.11.2011 के आधार पर भविष्य में कोई नामांतरकरण नहीं करवाउंगा। अपीलांट व रेस्पोडेंट नंबर 1 की माता सिणगारी 4 साल पहले फौत हो चुकी है तथा चारों भाई बराबर–बराबर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु अब रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने दिनांक 17.11.2011 के हक त्याग के आधार पर हल्का पटवारी से मिली भगत कर प्रशासन गांवों के संघ अभियान में अपने नाम से दिनांक 26.10.2021 को नामांतरकरण संख्या 2207 अपने पक्ष में भरवा लिया है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने दिनांक 22. 10.2021 को प्रशासन गांवों के संघ अभियान ग्राम दूड़िया में कैम्प था उस दिन अपीलांट ने कैम्प प्रभारी के समक्ष चारों भाइयों के नामसे अपनी माता सिणगारी देवी का विरासत नामांतरकरण खुलवाने के लिए शपथ–पत्र माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार ने आदेश करके हल्का पटवारी को नामांतरकरण खोलने का आदेश दिया था तथा अपीलांट को यह कहा कि आपका काम हो गया। परन्तु हल्का पटवारी ने चारों भाइयों के नाम से नमांतरकरण नहीं करके अकेले रामधन [illegible] में आकर दिनांक 26.10. 2021 को ग्राम बजावा के कैम्प में अकेले रामधन के ना[illegible] वाला नामांतरकरण की कार्यवाही की है। इस कारण नामांतरकरण आदेश दिनांक 26.10.2021 [illegible] होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं

अपीलांट्स का कथन है कि हल्का पटवारी ने नामांतरकण दिनांक 26.10.2021 की कार्यवाही करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की है, क्योंकि नामांतरकरण संख्या 2207 में वर्णित भूमि पर चारों भाईयों का बराबर–बराबर हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। रामधन का केवल 1/4 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है। इसलिए हल्का पटवारी ने बिना मौके की जांच किये ही नामांतरकरण की कार्यवाही की है। इस प्रकार नामांतकरण करवाने का उसे अधिकार नहीं है,क्योंकि भूमि पैत्रिक है। हल्का पटवारी ने हक त्याग में भूमि खसरा नंबर 911 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि का हक त्याग में कोई उल्लेख नहीं है। हल्का पटवारी ने बिना जांच किये ही हक त्याग पत्र में वर्णित खसरा नंबरों के अलावा खसरा नंबर 911 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि को भी नामांतरकरण संख्या 2207 में शामिल कर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पक्ष में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नामांतरकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है तथा भू0 अभिलेख निरीक्षक ने भी मिलान किया गया अंकन सही पाया गया की गलत टिप्पणी की है। इस कारण भी नामांतरकरण संख्या 2207 दिनांक 26.10.2021 खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 2207 ग्राम दूड़िया दिनांक 26.10.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– ग्राम दूड़िया के हाल भूमि खसरा नंबर 894, 895, 896, 897, 898, 911, 975 रकबा क्रमशः 0.030, 0.040, 0.020, 0.050, 2.29, 0.040, 1.13, 2.66, हैक्टर कुल रकबा 6.26 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पैत्रिक है जो पहले महालाराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी, परन्तु अपीलान्ट के पिता महालाराम की मृत्यु होजाने के बाद उक्त भूमि उसके चार पुत्र सुल्तान, औकार, रामेश्वर, रामधन एवं पत्नी सिणगारी के नाम से विरासत नामान्तरकरण दर्ज हुआ, लेकिन उक्त भूमि को चारों भाइयों ने बराबर–बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलांट की माता सिणगारी देवी पत्नी महालाराम काफी वृद्ध थी एवं मानसिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी थी जिसकी देखभाल चारों भाई ही करते थे तथा चारों भाई ही उसको खाना देते थे, परन्तु कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर छोटे भाई रामधन ने दिनांक 17.11.2021 को तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी में लाकर बाला बाला अपनी माता सिणगारी देवी को बिना बताये ही अपनी माताजी का 1/5 हिस्सा का हक त्याग अपने पक्ष में करवा लिया। उक्त हक त्याग का अपीलांट को पता चलने पर अपीलांट ने अपनी माताजी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि रामधन उसे तहसील कार्यालय में लेकर गया था तथा उसे पता नहीं उसने किन कागजातों पर हस्ताक्षर करवाये हैं। तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

भाई रामधन से पूछताछ करने पर बताया कि उसने अपने हक में हक त्याग करवाया है, परन्तु मैं वापस चलकर दिनांक 17.11.2021 को मेरे पक्ष में हुये हक त्याग को वापस निरस्त करवा देता हूँ। तब रेस्पोडेंट नंबर1 ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 30.12.2021 को अपनी माता सिणगारी देवीके पक्ष में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हक त्याग वापस अपनी माता के पक्ष में नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया, क्योंकि उस समय तक दिनांक 17.11.2011 का नामांतरकरण नहीं हुआ था, इस कारण पंजीयन नहीं हो सका था तथा उसी दिन रेस्पोडेंट नंबर1 ने अपने भाईयों के साथ एक अनुबन्ध पत्र 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र लिखवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया था जिसमें रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने लिखा था कि दिनांक 17.11.2021 के हक त्याग को निरस्त समझा जावे तथा उसके माताजी के हिस्से की भूमि पर चारों भाइयों का बराबर–बराबर हिस्सा रहेगा तथा हक त्याग दिनांक 17.11.2011 के आधार पर भविष्य में कोई नामांतरकरण नहीं करवाउंगा। अपीलांट व रेस्पोडेंट नंबर 1 की माता सिणगारी 4 साल पहले फौत हो चुकी है तथा चारों भाई बराबर–बराबर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु अब रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने दिनांक 17.11.2011 के हक त्याग के आधार पर हल्का पटवारी से मिली भगत कर प्रशासन गांवों के संघ अभियान में अपने नाम से दिनांक 26.10.2021 को नामांतरकरण संख्या 2207 अपने पक्ष में भरवा लिया है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने दिनांक 22. 10.2021 को प्रशासन गांवों के संघ अभियान ग्राम दूड़िया में कैम्प था उस दिन अपीलांट ने कैम्प प्रभारी के समक्ष चारों भाइयों के नामसे अपनी माता सिणगारी देवी का विरासत नामांतरकरण खुलवाने के लिए शपथ–पत्र माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार ने आदेश करके हल्का पटवारी को नामांतरकरण खोलने का आदेश दिया था तथा अपीलांट को यह कहा कि आपका काम हो गया। परन्तु हल्का पटवारी ने चारों भाइयों के नाम से नमांतरकरण नहीं करके अकेले रामधन से सांठ–गांठ करके तथा प्रलोभन में आकर दिनांक 26.10. 2021 को ग्राम बजावा के कैम्प में अकेले रामधन के नाम से बाला बाला नामांतरकरण की कार्यवाही की है। इस कारण नामांतरकरण आदेश दिनांक 26.10.2021 खारिज होने योग्य है।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का कथन है कि नामांतरकरण संख्या 2207 दिनांक 26.10.2021 रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गोड़जी नामांतरकरण संख्या 2207 दिनांक 26.10.2021 रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर तस्दीक किया गया है । अपीलांट को विवादित भूमि के संबंध में उक्त हक त्याग से कोई ऐतराज है तो सक्षम न्यायालय में हक त्याग को निरस्त करवाये या सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर रिलिफ प्राप्त करें। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

नामांतरकरण की कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। यह सही है कि विवादित भूमि अपीलांट और रेस्पोडेंट की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की भूमि है और संयुक्त खातेदारी भूमि का हक त्याग एक व्यक्ति रेस्पोडेंन्ट 1 के पक्ष में किया गया है। अपीलांट द्वारा नामांतरकरण संख्या 2207 को अपील के माध्यम से निरस्त कराने की रिलिफ चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा नामांतरकरण संख्या 2207 दिनांक 26.10.2021 रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर रेस्पोडेंट के पक्ष में तस्दीक किया गया है । कानून जहां पंजीकृत दस्तावेज हो वहां नामांतरकरण की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार के स्तर पर गुणावगुण पर समीक्षा नहीं की जाती है। ऐसे मामले में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर रिलिफ प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा नामांतरकरण संख्या 2207 दिनांक 26.10.2021 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा नामांतरकरण संख्या 2207 दिनांक 26.10.2021 ग्राम दुड़िया यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

31.10.2022

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:36 IST
Reason: SelfAttested